



**प्रेस नोट दिनांक 11-04-2024 थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।**

**थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से चल रही अवैध शराब भट्टी का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 110 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर गिहार कॉलोनी कस्बा सिरसागंज से 03 अभियुक्तों 1-राजीव कुमार, 2-कन्हैया, 3-मिथुन को अवैध अपमिश्रित शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध 110 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिरसागंज पर मु0अ0सं0 180/2024 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- 1.राजीव कुमार पुत्र निहाल सिंह उर्फ जलुआ निवासी गिहार कालोनी कस्बा व थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
2. कन्हैया पुत्र चिरंजीलाल निवासी गिहार कालोनी कस्बा व थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।
3. मिथुन पुत्र मुन्ना निवासी गिहार कालोनी कस्बा व थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।

#### **पंजीकृत अभियोग-**

- 1.मु0अ0सं0 180/2024 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना सिरसागंज ।

#### **बरामदगी:-**

- 1.110 लीटर अपमिश्रित नाजायज कच्ची शराब
- 2.एक अदद टीन जिसका
- 2.एक गोल टीन का पारा
- 3.एक सिल्वर का पतीला
- 4.एक प्लास्टिक का पाइप
- 5.एक गैस चूल्हा
- 6.एक गैस सिलेण्डर 5KG
- 7.एक प्लास्टिक की मग

8.प्लास्टिक का एक कीप

9. 350 ग्राम यूरिया

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1.उ0नि0 राजनरायण सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ।

2.उ0नि0 सुरेशचन्द्र थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

3.उ0नि0 यू0टी0 तरुण कुमार थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

4. म0उ0नि0/यू0टी तरुणा सिंह थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

5.का0 1146 आशीष कुमार थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

6.का0 455 अखिलेश कुमार, का0 787 नीतेन्द्र थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।